शाम के वक्त ओपीडी में नजर नहीं आते चिकित्सक

जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर बैढ़न का हाल, 45 में से मात्र आधा दर्जन चिकित्सक बैठे रहे ओपीडी में

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर बैढ़न में चिकित्सको की मनमानी पर कब लगाम लगेगा, यह कह पाना मुश्किल लग रहा है। कलेक्टर एवं सिविल सर्जन के सख्त निर्देश के बावजूद अधिकांश चिकित्सक शाम के वक्त ओपीडी में नही बैठते।

आज दिन शुक्रवार की शाम करीब 5:30 जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर बैढ़न के ओपीडी का नजारा इस कदर था कि करीब आधा दर्जन से भी कम चिकित्सक नजर आये। जबकि जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में पदस्थ चिकित्सको की संख्या 45 है, 16 चिकित्सकों की ड्यूटी आपातकालीन रहती है। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में चिकित्सकों की पदस्थापना होने के बावजूद शाम के वक्त चिकित्सको का नदारत रहना कई सवालों को जन्म दे रहा है। बताया जाता है कि मरीज चिकित्सको के आने के लिए इंतजार कर टकटकी लगाए हुये थे, परंतु शाम 6 बजे तक दो-चार चिकित्सको को छोड़कर अन्य नजर नही आये। चर्चा है कि अधिकांश चिकित्सक दोपहर लंच के बाद अपने क्लीनिको व नर्सिंग होम में ही नजर आये हैं। यदि कथित चिकित्सको के नर्सिंग होम व क्लीनिको में लगे सीसीटीव्ही कैमरे की जांच करा दी जाये तो, कथित चिकित्सको के ड्यूटी करने का पोल खुल जाएगा। परंतु ऐसा हो पाना मुश्किल ही नही, बल्कि नमुमकिन है, इसके पीछे एक नही अनेक कारण बताए जा रहे हैं।

यदि सूत्रों की बात माने तो कई चिकित्सक केवल जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में अपनी हाजिरी दर्ज कराने आते हैं और कुछ देर तक ओपीडी में बैठने के बाद वॉर्डो का भ्रमण करने के बहाने अपने क्लीनिक व नर्सिंग होम जिला अस्पताल के पीछे के दरवाजे से निकल कर पहुंच जाते हैं। यह इस तरह की बाते पहली दफा नही है, पूर्व से ही चलती आ रही है। जिला चिकित्सालय में जितने भी सिविल सर्जन आये, किसी ने भी चिकित्सको के मनमानी पर अंकुश नही लगा पाए। इसका खामियाजा मरीजो को भुगतना पड़ता है। आज कई मरीज चिकित्सको का शाम के वक्त हॉल में इंतजार करते रहे। अंतत: निराश होकर चले गये।

ओपीडी शुल्क 10 रुपए वापस लेने तू तू-मैं मैं

आलम यह है कि शाम के वक्त 10 रूपये का ओपीडी पर्ची मरीज कटवा लेते हैं, लेकिन घंटो इंतजार के बाद चिकित्सक नही आते हैं। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि मरीज 10 रूपये जमा शुल्क को वापस करने के लिए ओपीडी के काउंटर पर पहुंच ऑपरेटरों से तूतू-मैंमैं करने लगते हैं। इस तरह का दबाव मरीज पहले से भी देते आ रहे हैं और आज दिन शुक्रवार की शाम ऐसा नजारा भी दिखा। कई मरीज चिकित्सको के इंतजार में थे और जब पता चला कि डॉक्टर साहब नही आएंगे, निराश होकर मरीज व उनके परिजन काउंटर पर पहुंच 10 रूपये जमा शुल्क वापस करने के लिए तूतू-मैंमैं करने लगते हैं। हालांकि कम्प्यूटर ऑपरेटर ने

निजी प्रेक्टिस में ज्यादा वक्त, दलाल सक्रिय

सूत्र बताते हैं कि जिला चिकित्सालय एवं सह ट्रामा सेंटर में पदस्थ कई चिकित्सक अपना खुद का निजी क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालित कर रखा है। ऐसे चिकित्सको की संख्या दर्जन भर से ऊपर है। अधिकांश चिकित्सक दलाल भी पाल रखे हैं और इन्ही के माध्यम से मरीज उनके नर्सिंग होम में पहुंचते हैं। जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर के बाहर कथित चिकित्सक के दलाल बराबर सक्रिय रहते हैं और मरीजो को गुमराह करने में सफल भी रहते हैं। इसका पहले भी भण्डाफोड़ भी हो चुका है।

इनका कहना :-

जिला चिकित्सालय में चिकित्सको की ड्युटी के दौरान नदारत चिकित्सको की जानकारी मंगाई गई है, उन्हें नोटिस दी जाएगी और मार्च महीने के वेतन में भी कटौती किया जाएगा। अब सार्थक के माध्यम से उपस्थिति लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि सार्थक उपयोग नही किये होंगे तो मार्च का वेतन कटेगा।

डॉ.कल्पना रवि
सिविलसर्जन, जिला चिकित्सालय बैढ़न

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज, 20 खण्डपीठ गठित

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का किया जाएगा निराकरण

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार कल दिन शनिवार 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के अध्यक्ष अतुल कुमार खण्डेलवाल के द्वारा कुल 20 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। न्यायिक खण्डपीठों के अंतर्गत जिला न्यायालय बैढ़न में 11 सिविल न्यायालय देवसर में 8 एवं सिविल न्यायालय सरई में 1 खण्डपीठों का गठन किया गया है। कल 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश श्री खण्डेलवाल द्वारा जिला न्यायालय बैढ़न परिसर में कल प्रात: 10:30 बजे किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरण तथा बैंक, फाईनेंस कंपनी, सम्पत्तिकर, जलकर विद्युत विभाग, बीएसएनएल के प्रीलिटिगेशन प्रकरणां का निराकरण किया जायेगा।

एक नजर में

कलेक्टर ने कि ईव्हीएम स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण

सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव बैनल द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत ईव्हीएम वेयर हाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान निर्वाचन कार्यालय के कार्यों का जायजा लिया तथा संधारित रजिस्टर का अवलोकन करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीव्ही कैमरों की जांच कर व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही ईव्हीएम मशीनों के सही रख-रखाव का भी अवलोकन किया। इस दौरान एसडीएम सिंगरौली सुरेश जाधव सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

जनगणना के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला प्रमुख जन गणना अधिकारी गौरव बैनल के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण ले रहे नोडल अधिकारियों एवं सहायकों को अवगत कराया गया कि जनगणना प्रशिक्षण की बारीकियों को अच्छी तरह से समझे, जिससे आगामी समय में होने वाली जनगणना को सफलता पूर्वक किया जा सके। प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में संपादित किया जाना है।

बगैर ऋण लिए भूमि को दर्ज करा दिया बंधक

भूमि स्वामी की नहीं लिया सहमति, नवानगर समिति का मामला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। सेवा सहकारी समिति नवानगर क्षेत्र के ग्राम बेलौहां टोला निवासी एक कृषक भूमि स्वामी ने समिति प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुये कलेक्टर के यहां शिकायती आवेदन पत्र देकर संपूर्ण मामले की जांच कराने की मांग की है।

बेलौहां टोला निवासी तुल्सी प्रसाद पिता बन्दुल तेली ने कलेक्टर के यहां शिकायत करते हुये बताया कि भूमि खसरा क्रमांक 2407, 3098/ 3(एस) की भूमि को बिना कर्ज एवं सहमति के 19 माह 2024 से पैक्स नवानगर द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज का बंधक दर्ज करा दिया गया है। आगे बताया कि उक्त आराजी में कुछ खाली जमीन पड़ी हुई है, जिस जमीन पर प्रार्थी द्वारा न तो नवानगर समिति से न कोई कर्ज लिया गया और न ही कोई खादबीज लिया गया है। फिर भी नवानगर समिति के द्वारा कब्जे पट्टे की भूमि को बिना भूमि स्वामी के सहमति अनुमति से राजस्व रिकॉर्ड खसरे में बंधक के रूप में दर्ज कराया गया है। इसकी जानकारी 5 मार्च को जब ऑनलाईन से खसरे की नकल प्राप्त किया गया। तब देखा और परखा की उक्त भूमि बंधक के रूप में दर्ज है। आवेदक ने कहा कि उक्त मामले की जांच कराकर बंधक भूमि दर्ज कराने वाले संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाये। साथ ही संबंधित के विरूद्ध अपराधिक मामला भी दर्ज कराया जाये। उसने खुलेआम आरोप लगाया है कि सेवा सहकारी समिति नवानगर के द्वारा इस तरह का खेल किया गया है, इसमें पट्टेदार की सहमति आवश्यक होता है, लेकिन समिति नवानगर ने मनमानी तरीके से उक्त भूमि को समिति में बंधक दर्ज करा दिया गया है। निष्पक्ष जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। पीड़ित ने इस ओर कलेक्टर सिंगरौली का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी जनों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। साथ ही इधर यह भी चर्चा है कि समिति नवानगर का यह पहला कारनामा नही है, इस तरह के और भी कारनामे हो सकते हैं। समिति इसके पहले भी चर्चाओं में रही है।

पवन शाह हत्याकांड के तीनों आरोपी गिरफ्तार, स्थिति सामान्य

राजमार्ग बाधित,आगजनी एवं पुलिस वाहन में तोड़फोड़ करने वाले अराजक तत्वों पर दर्ज हो सकता है अपराध

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। मोरवा थाना के साईनगर निवासी पवन शाह की हुई निर्मम हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस जघन्य अपराध में एक विधि विरूद्ध बालक अपराधी भी शामिल है।

गौरतलब है कि साईनगर निवासी पवन शाह उम्र 15 वर्ष 9 मार्च की रात करीब 9:20 बजे अचानक लापता हो गया था। इसके बाद 11 मार्च को पवन का शाह का पिपड़खड़ गांव के सुने मकान में शव मिला था। संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछतांछ किया, जहां आरोपी इरशाद एवं एक विधि विरूद्ध बालक व पंकज गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछतांछ की गई। जहां आरोपी इरशाद व नाबालिक बालक ने जुर्म कबूल करते हुये पुलिस को बताया था कि जिस रात में गायब किया था, रात करीब 10:30 बजे उसकी पत्थर से पीट कर हत्या कर दी गई थी, यहां बताते चले कि मृतक के परिजनों ने पवन के लापता होने की सूचना मोरवा टीआई को 9 मार्च की रात करीब 1:30 बजे दिया था। जबकि मृतक पवन की हत्या रात 10:30 बजे ही कर दी गई थी। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि पुलिस की इसमें गलती कहां थी। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को तत्काल हिरासत लेने में कामयाब रही। इसे सफलता की दृष्टि से लिया जा रहा है। परंतु अराजक तत्वों ने पुलिस को निशाने पर लिया था, इसके पीछे एक नही, अनेक कारण गिनाएं जा रहे हैं। कुछ तथाकथित दलाल मोरवा पुलिस की किरकिरी कराने के लिए लोगों को हवा दे रहे थे। अब ऐसे लोगों को पुलिस चिन्हित भी कर रही है।

पुलिस के निशाने पर उपद्रवी, फुटेज की तलाश तेज

पवन शाह हत्याकांड के बाद हुये हंगामा राष्ट्रीय राजमार्ग-39, को बाधित करने, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़, पत्थरबाजी एवं आगजनी करने वाले अराजक तत्वों एवं उपद्रवी पुलिस के निशाने पर हैं। सूत्र बताते हैं कि मोरवा पुलिस फुटेज की तलाश तेज कर दी है। ऐसे में उपद्रवियों पर अपराध भी दर्ज हो सकता है। साथ ही लाठी भाजने वाले महिलाएं व अराजक तत्व पुरूष पर भी अपराध दर्ज हो सकता है।

कार्यकर्ताओं के समर्पण से संगठन का लगातार हो रहा है विस्तार : रामाधार

कोरावल विकास मंच के कार्यकारी अध्यक्ष बने रामकृपाल सिंह

नवभारत न्यूज

चितरंगी 13 मार्च। कोरावल विकास मंच के संरक्षक रामाधार सिंह एवं अध्यक्ष डॉ. रमाशंकर सिंह के निर्देशन में कोरावल विकास मंच संगठन के विस्तार एवं सुदृढ़करण को लेकर रामकृपाल सिंह को कोरावल विकास मंच का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।

संगठन के उद्देश्यों एवं क्षेत्र के विकास में अहम योगदान के लिए अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई, जिसमें कानूनी सलाहकार एड. ब्रह्मनंद सिंह, सह संरक्षक जगपति सिंह, दिलीप गुप्ता, अनिल सिंह गुर्जर, अजमेर सिंह गोंड, जगपति सिंह गोंड, अमर सिंह बैस शामिल रहे। वही मार्गदर्शक के रूप में बलराम धर द्विवेदी, माधव सिंह गोंड, सुग्गन सिंह बैस, अशोक कुमार चतुर्वेदी, बलिकरण सिंह को बनाया गया है। इस कार्यकारणी के लोगो ने कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामनायें प्रेषित किये है।

बिना अभिवहन पास बोल्डर ले जाते ट्रैक्टर जब्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार तथा खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा था।

जांच के दौरान एक ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एमपी 66 जेडडी 8764 बोल्डर का परिवहन करते हुए पाया गया। जब वाहन चालक से खनिज के परिवहन से संबंधित वैध अभिवहन पास की मांग की गई, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने ट्रैक्टर को तत्काल जप्त कर लिया।

जप्त किए गए वाहन को सुरक्षार्थ पुलिस थाना मोरवा में खड़ा कराया गया है। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार संबंधित वाहन के खिलाफ खनिज नियमों के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

तालाबों का सौदर्यीकरण कर चारों ओर लगाएं हाईमास्क लाइट : सविता

ननि आयुक्त ने बैढ़न तथा हर्रई पश्चिम में स्थित तालाब का किया निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री भी रहे मौजूद

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। नगर पालिक निगम आयुक्त सविता प्रधान के द्वारा बैढ़न तालाब एवं हर्रई पश्चिम गायत्री मंदिर के समीप स्थित तालाब का निरीक्षण कर तालाबो का सौदर्यीकरण कार्य कराने के निर्देशित किया।

आयुक्त के द्वारा सर्वप्रथम बैढ़न तालाब का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात हर्रई पश्चिम में स्थित तालाब का निरीक्षण कर उपस्थित कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया कि दोनों तालाबो का सौदर्यीकरण करायें। आयुक्त ने निर्देशित किया कि बैढ़न तथा हर्रई तालाब को चारो ओर स्टोन पिचिंग गुणवत्तायुक्त करायें। तालाबो के चारो ओर रेलिंग लगायें, साथ ही रात्रि के समय में भी वार्डवासी तालाबो के आस पास घूम सके, उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए हाईमास्क लाईट लगाने के साथ तालाबो की सुन्दरता बढ़ाने के लिए फउटेन फव्वारा भी लगायें जाने की कार्रवाही करें। आयुक्त ने कहा कि तालाब के आस पास सुबह-शाम आने वाले बुजुर्ग आराम से बैठ सके, इसके लिए चारो आर चेयर भी लगाया जायें। साथ ही आस पास कचरे का बिखराव न हो, इसके लिए डस्टबीन का भी प्रबंध करें। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री संतोष पाण्डेय, स्वास्थ्य अधिकारी बाल गोविंद चतुर्वेदी, उपयत्री अनुज सिंह मौजूद रहे।

ओटीपी समस्या से गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। जिले में इन दिनों गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गैस सिलेंडर बुकिंग के दौरान मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ऑनलाइन बुकिंग पूरी नहीं होने के कारण लोग सीधे गैस एजेंसियों पर पहुंचकर सिलेंडर बुक कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार बैढ़न व देवसर में भी सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ देखी जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग के लिए जब वे ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हैं तो मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता, जिससे बुकिंग पूरी नहीं हो पाती। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग एजेंसी पहुंचकर बुकिंग कराने के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में घरेलू गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। गैस एजेंसी संचालकों ने कहा कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

एचआईव्ही-हेपेटाइटिस के लिए किया जागरुक

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। सासन पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिन मोहापात्रा एवं स्टेशन डायरेक्टर सुब्रतों घोष के निर्देशन में सीएसआर विभाग ने सीएसआर कार्यक्रम के अन्तर्गत सासन पावर प्लांट में एचआईव्ही, हेपेटाइटिस के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। यह आयोजन सीएसआर विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं टेऊनिंग विभाग के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया। सहारा मंच के टीम से प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक तिवारी, काउंसलर गेंदलाल साकेत, ओआर डब्ल्यू रिशु पाण्डेय, हेल्थ एजुकेटर ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद रहे।

टीईटी आदेश को लेकर शिक्षकों में आक्रोश, पुनर्विचार याचिका की मांग

अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, संचालक लोक शिक्षण के आदेश को शिक्षक विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 मार्च। म.प्र. अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा टेट मामले को लेकर राज्य सरकार के निर्णय और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश पर आपत्ति जताई गई है।

मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह चौहान ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय में म.प्र. सरकार की ओर से टेट के विरोध में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए तथा संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश को शीघ्र वापस लिया जाए। संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नरेंद्र मिश्रा संयोजक, प्रदीप सिंह परिहार, हरिश्चंद्र सिंह, कृष्ण कुमार द्विवेदी, सरिता दुबे, रमेश पांडेय, दीपू सिंह, गुड्डू यादव, बाला प्रसाद, दुर्गेश प्रसाद विश्वकर्मा, देवेंद्र श्रीवास्तव एवं अन्य सभी शिक्षक साथी तथा पदाधिकारी बड़ी संख्या में ज्ञापन में इस विषय पर आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार, मंत्रिमंडल और सचिवालय स्तर पर आवश्यक विचार-विमर्श एवं लिखित अनुमोदन नहीं लिया गया, जबकि शासन की प्रक्रिया के अनुसार यह जरूरी होता है। इधर सरकार से मांग की गई है कि टेट मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए और संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।

डेढ़ लाख शिक्षकों में भय और व्याप्त है आक्रोश

ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 1385-2025 में याचिकाकर्ता एक अशासकीय शिक्षण संस्था है तथा उत्तरदाता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नई दिल्ली है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय के आदेश के बाद एनसीटीई द्वारा म.प्र. के लोक शिक्षण संचालनालय को क्या निर्देश दिए गए हैं। मोर्चा के अनुसार प्रदेश के शिक्षक, अध्यापक, मा. व प्रा. शिक्षक पहले शिक्षाकर्मी व संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर सेवा निरंतरता में आए हैं। शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 1998, अध्यापक भर्ती अधिनियम 2008 तथा राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग नियम 2018 में टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य सेवा शर्त के रूप में उल्लेखित नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस आदेश से प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों में भय और आक्रोश की स्थिति बन रही है।